तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व ता... अहकाम ज... हुक्म की ता... जारी...
	श्रवण कुमार बनाम सरपंच वगै अपील प्र.न. - 9/2022	
17-04-25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाव उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 06-05-25 को पेश हो।	
06.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील अपीलार्थी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 23.05.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
23.05.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील अपीलार्थीया उपस्थित। वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड की जाती है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
09 / 2022	2022 / 266	29.08.2022	23.05.2025

उनवान प्रकरण

श्रवण कुमार शर्मा पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––अपीलार्थी

बनाम्

1–सरपंच ग्राम पंचायत गढ़टकनेत पं. सं. अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, एड0 प्रार्थी / अपीलार्थी अभिभाषक।

<u>नामान्तकरण अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.07.2020 सरपंच, ग्राम पंचायत गढ़टकनेत पंचायत समिति श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर बाबत नामान्तकरण प्रविष्टि संख्या एंव दिनांक 255, 3.12.2019, रजिस्ट्रीकरण / बधंक संख्या 201903500101345 दिनांक 02.08.2019 ग्राम बड़ी ढाणी, गढ़टकनेत पटवार हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)</u>

निर्णय :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:52 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार [illegible] कि अपीलान्ट ने एक अपील नामान्तकरण खिलाफ रेस्पोडेण्टस् के इस आशय [illegible] प्रस्तुत की है कि कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

खसरा नम्बर 484 कुल रकबा 0.6100 हैक्टर तन ग्राम बड़ी ढाणी पटवार हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है जिसमें हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार सुरजभान सिंह पुत्र जयसिंह कौम राजपूत निवासी गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नाम भू-अभिलेख जमाबंदी मे दर्ज चला आ रहा है एंव अपीलार्थी ने उक्त कृषि भूमि खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 02.08.2019 उप पंजियक कार्यालय में विधिवत तरीके से तस्दीक व पंजीबद्ध करवाया गया तथा मुताबिक विक्रय लेख के आधार पर नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.12.2019 को दर्ज किया जाकर भू.अ. निरीक्षक द्वारा जॉच की गई तथा नामान्तकरण को तस्दीक हेतु रेस्पोडेन्ट के समक्ष पेश किया गया। जिसको रेस्पोडेन्ट ने चुनौतिग्रस्त एंव आक्षेपित निर्णय दिनांक 07–07–2020 यह अंकित करके "कि ग्राम पंचायत गढ़टकनेत की पंचायत बैठक दिनांक 07.07.2020 के प्रस्ताव संख्या–7 के नामान्तकरण संख्या 255 (विक्रय) बढ़ी ढाणी सुरजभान सिंह पुत्र जयसिंह (विक्रेता) के स्थान पर श्रवण कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण (क्रेता) के नाम पेश किया गया। उप सरपचं श्री रूड़ाराम द्वारा आपत्ति पेश की गई कि उक्त स्थान पर न तो विक्रेता न ही क्रेता का कब्जा है, इस नामान्तकरण को खारिज किया जावे। इस प्रस्ताव का समस्त उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।" पंचायत बैठक दिनांक 07.07.2020 के प्रस्ताव संख्या – 7 के अनुसार खारिज किया जाकर निर्णय पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपील अपीलार्थी न्यायालय के समक्ष निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है:–

यह कि रेस्पोडेन्ट का निर्णय दिनांक 07–07–2020 बाबत नामान्तकरण विधि विरूद्व व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। तन ग्राम बड़ी ढाणी पटवार हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 484 कुल रक्बा 0.6100 हैक्टर के हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार सुरजभान सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर दर्ज चला आ रहा है एंव अपीलार्थी ने उक्त कृषि भूमि खरीद कर मौके पर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्राप्त कर भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 02.08.2019 उप पंजियक कार्यालय में विधिवत तरीके से तस्दीक व पंजीबद्ध करवाया गया था तथा मुताबिक विक्रय लेख के आधार पर नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.12.2019 को दर्ज किया गया एवं भू.अ.नि. द्वारा जाँच की जाकर नामान्तकरण को तस्दीक हेतु रेस्पाडेन्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया परन्तु रेस्पाडेन्ट ने चुनौतिग्रस्त एवं आक्षेपित निर्णय दिनांक 07-07-2020 पारित फरमाया गया जो अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थी अपनी रजिस्टर्ड विक्रय लेख के आधार पर खरीदशुदा व कब्जा शुदा भूमि पर मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चला आ रहा था तथा भूमि का विक्रय लेख विधि सम्मत तरीके से कब्जा की जाँच कर तस्दीक व पंजीबद्ध किया गया है परन्तु रेस्पाडेन्ट ने चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 07.07.2020 मौके पर क्रेता एवं विक्रेता का कब्जा नहीं होना अंकित करके नामान्तकरण अस्वीकार किया गया परन्तु यह स्पष्ट अंकित नहीं किया है कि भूमि पर मौके पर क्रेता एवं विक्रेता का कब्जा नहीं है तो कब्जा किसका है। इसलिए रेस्पाडेन्ट का निर्णय आक्षेपित एवं चुनौतीग्रस्त होकर अपास्त होने योग्य है। रेस्पाडेन्ट ने नामान्तकरण बाबत आक्षेपित निर्णय दिनांक 07.07.2020 बिना कोई सूचना व बिना कोई नोटिस जारी किये बाला-बाला पारित किया गया है। जो अपास्त होने योग्य है। अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पाडेन्ट सरपंच, ग्राम पंचायत गढटकनेत द्वारा नामान्तकरण प्रविष्टि संख्या एवं दिनांक 256, 3.12.2019, रजिस्ट्रीकरण/बुक संख्या 201903500101345 दिनांक 02.08.2019 ग्राम बड़ी ढाणी, गढटकनेत पटवार हल्का गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) बाबत पारित आक्षेपित चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 07.07.2020 अपास्त फरमाया जाकर नामान्तकरण स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थी के नाम भूमि की खातेदारी रजिस्टर्ड विक्रय लेख के [illegible] में दर्ज किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान [illegible] का निवेदन अपनी अपील नामान्तकरण में की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:52 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी
[illegible] (राज.)

इस पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। रेस्पोडेण्ट की तामील जरिए रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रकरण में वकील अपीलान्ट ने रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से प्रस्तुत अपील नामान्तकरण मे बहस सुनी जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील अपीलान्ट की बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2024–2027, रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांकित 02.08.2019 की फोटोप्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति, नामान्तकरण संख्या 255 दिनांक 03.12.2019 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अंकित वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण व सुरजभान सिंह पुत्र जयसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत के नाम से खातेदारी जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 में दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसमें खातेदार सुरजभान सिंह पुत्र जयसिंह के द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विकय लेख से केता/अपीलान्ट श्रवण कुमार शर्मा पुत्र लक्ष्मीनारायण के पक्ष में दिनांक 02.08.2019 को करवाया जाना प्रकट होता है। नामान्तकरण संख्या 255 निर्णय दिनांक 03.12.2019 के द्वारा उप संरपंच श्री रूडाराम के द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई जाने पर [illegible] के द्वारा बिना विस्तृत जॉच एवं बिना किसी ठोस कारण के [illegible] नामान्तकरण निरस्त किया जाना प्रकट होता है। अतः ऐसी [illegible] अपील नामान्तकरण में चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण को भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उभय

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार की जाकर रेस्पोन्डेन्ट ग्राम पंचायत गढटकनेत द्वारा नामान्तकरण प्रविष्टि संख्या एंव दिनांक 255, 3.12.2019, रजिस्ट्रीकरण /बधंक संख्या 201903500101345 दिनांक 02.08.2019 ग्राम बड़ी ढाणी, गढटकनेत पटवार हल्का गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) बाबत पारित आक्षेपित चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 07.07.2020 अपास्त फरमाया जाकर प्रकरण को भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:52 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 23[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)